न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—06 / 2019 (2019 / 00164) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—लोभु पिता छीतर सुथार निवासी टुगंच तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—बंशी पिता छीतर सुथार निवासी टुगंच तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—छगन पिता छीतर सुथार निवासी टुगंच तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—कस्तुरी बेवा छीतर सुथार निवासी टुगंच तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—नारायण पिता गणेश सुथार निवासी टुगंच तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—नोसर बेवा गणेश सुथार निवासी टुगंच तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—शिवलाल पिता किशना सुथार निवासी टुगंच तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—प्यारी पुत्री किशना सुथार निवासी टुगंच हाल निवासी कुंवारिया जिला राजसंमद
9—देउ पुत्री किशना सुथार पत्नि भैरूलाल निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—लादी पुत्री गणेश सुथार पत्नि हीरालाल निवासी दुदालिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
11—लक्ष्मी पुत्री गणेश सुथार पत्नि रामलाल निवासी जोरावरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—ग्राम पंचायत खाखरमाला, जरिये संरपच निवासी ,खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 11.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दूंगच में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की हाल आराजी संख्या 987 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 988 रकबा 0.09 हैक्टेयर व 991 रकबा 1.34 हेक्टेयर अन्य आराजियात के साथ जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में दर्ज रिकॉर्ड है जो ग्राम टूंगच से मौखुन्दा जाने वाली मुख्य सड़क से लगी हुई है। प्रार्थना—पत्र के पैरा संख्या 01 मे वर्णित कृषि आराजियात के साबिक आराजी संख्या 559 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा [illegible] एक ही चक होकर साबिक आराजी संख्या 554 / 01 के पास स्थित थी लेकिन [illegible] भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नहीं कर नक्शे की आकृति में परिवर्तन कर नक्शा छोटा कर दिया व हाल आराजी 989 रकबा [illegible] हैक्टेयर व 990 रकबा [illegible] हेक्टेयर को प्रार्थीगण की आराजी संख्या 991 में दर्शा दिया उक्त आराजी संख्या 989 व 990 वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है प्रमाण में साबिक व हाल नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना—पत्र के साथ पेश की है। प्रार्थीगण की हाल आराजी संख्या 991 एक चक होकर ग्राम टुंगच से मौखुन्दा जाने वाली मुख्य सड़क से लगी हुई होकर मुख्य सड़क की तरफ पत्थरों की दिवार बनी हुई हैं। भू—प्रबन्ध विभाग को नक्शे में तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:54 IST
Reason: SelfAttested

करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी उन्होंने प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या 559 को साबिक नक्शे की आकृति में परिवर्तन कर दिया व नक्शे को छोटा कर हाल आराजी संख्या 989 व 990 को प्रार्थीगण की हाल आराजी संख्या 991 में दर्शा दिया जो गलत है। इसलिये प्रार्थीगण को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार दुरुस्ती करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। वर्तमान में हाल आराजी संख्या 989 रकबा 0.08 व आराजी संख्या 990 रकबा 0.17 हैक्टेयर जो विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है को गलत रुप से नवीन नक्शे में प्रार्थीगण की हाल आराजी संख्या 991 में दर्शा देने से विपक्षी संख्या 01 नाजायज रुप से प्रार्थीगण को बेदखल कर उक्त भूमि मे पट्टे देनें पर आमादा हैं जिसका की उसको कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं और इस हेतु विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 10.07.2018, 25.07.2018 व 14.08.2018 को प्रार्थीगण को गलत रूप से नोटिस जारी कर दिया। नाजायज रूप से प्रार्थीगण को बेदखल कर भूमि को प्रार्थीगण का आधिपत्य हटाकर पट्टे काटने पर आमादा है प्रमाण में नोटिस व जवाब नोटिस प्रस्तुत किया है। अतः सादर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की हाल आराजी संख्या 991 की आकृति को साबिक आराजी संख्या 559 के साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम कर दुरस्त कराया जाकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी 989 व 990 को जो प्रार्थीगण की आराजी संख्या 991 में नक्शे में दर्शा दी गई है उसे भी दुरस्त कराया जावें व दुरस्ती होने तक विपक्षीगण प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आरायिजात से बेदखल नही करे आधिपत्य नही हटावे मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित आराजी संख्या 989 व 990 में पट्टे नही काटे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विपक्षी कमांक 2 की और से प्रकरण में जवाब के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार रायपुर से रेकार्ड व मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम [illegible] 987, 988, 991 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 है0 वादीगणो के नाम दर्ज रेकार्ड [illegible] द्वारा पत्थर की कच्ची दीवार बना रखी हैं। ग्राम टूगंच के खस[illegible] 989, 99[illegible] किता 2 कुल रकबा 0.25 है0 किस्म गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत खाखर[illegible]र्ड होकर खसरा नम्बर 989 व सम्पूर्ण एवं 990 के आशिंक भाग पर लोगो के मकानात बने हुए है। खसरा नम्बर 990 के आशिंक भाग पर वादीगणो का कब्जा पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर कर रखा है जिसको खसरा नम्बर 991 के साथ ले रखा है जिसको नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित कर रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:54 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण

के नाम दर्ज साबिक आराजी संख्या 559 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के साबिक आराजी संख्या 559 के नवीन आराजी संख्या 987, 988, 991 बनाये गये जिनका रकबा साबिक के मुकाबले 1.46 है0 दर्ज किया जो सही है। प्रार्थीगण के नाम दर्ज नवीन खसरा नम्बर 987, 988, 991 जो राजस्व नक्शे में प्रदर्शित कर रखे है उनका रकबा बरारी करने पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबा अनुसार नक्शा सही पाया गया। जहां तक प्रार्थीगण के कब्जे का प्रश्न है तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का आराजी सख्या 987, 988, 991 पर कब्जा होकर पत्थर की दीवार बना रखी है जो प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है उसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 990 के आशिंक भाग पर कब्जा कर पत्थर की दीवार बना रखी है जो उक्त खसरा नम्बर प्रार्थीगण की खातेदारी का नही होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है प्रार्थीगणो का जो अनाधिकृत कब्जा आबादी के खसरा नम्बर 990 पर कर रखा है उस भूमि को अपनी खातेदारी भूमि बता कर नक्शा दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो साबिक रेकार्ड के विपरीत है चुकि साबिक आराजी संख्या 559 के उत्तरी साबिक आराजी संख्या 554/2 का दक्षिणी कोने से सीधा दक्षिण की तरफ लाईन से सीमा निर्धारित की गई है उसी अनुरूप वर्तमान नक्शे में भी नवीन आराजी संख्या 986 के दक्षिणी एवं आराजी संख्या 987 के दक्षिणी पूर्वी कोने से सीधी लाईन खिचते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा निर्धारित की गई है जो साबिक के मुकाबले सही है जहां प्रार्थीगण का नवीन आराजी संख्या 990 में जो अतिक्रमण किया गया है वो बिलकुल ही अलग से हटकर त्रिभुजाकार में कब्जा कर रखा है उस अनुसार प्रार्थीगण की साबिक आराजी संख्या कभी नही थी। ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो साबिक के मुकाबले नवीन नक्शा कायम किया जो सही होने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं सपठित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थीगण के नाम साबिक रेकार्ड में दर्ज आराजी एवं नक्शे के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 ... द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:54 IST
Reason: SelfAttested

11.2.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा